विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० एस वेणुगोपालाचारी): राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने कहलगांव-ताप विद्युत परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों हेतु सालेमपुर गांव में एक पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण किया है तथा आधारभूत एवं सामुदायिक विकास सुविधाएं, जैसे कि विद्यालय की इमारत स्वास्थ्य केन्द्र, सुलभ शौचालय, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करने के साथ-साथ भू-खण्डों का भी विकास किया है। एनटीपीसी ने समीपवर्ती गांवों में भी आधारभूत एवं सामुदायिक विकास सुविधाएं प्रदान की हैं।

मार्च, 1996 तक क्रियान्वित किए गए इन विकास कार्यों पर किया गया व्यय 241.66 लाख रुपये है।

चल रहे आधारभूत एवं सामुदायिक विकास कार्य को पूरा करने के अलावा, भविष्य में इन क्षेत्रों में एनटीपीसी के अतिरिक्त कार्य पुनर्वास कॉलोनी तथा समीपवर्ती गांव दोनों मे ही आकलित आवश्यकताओं के समनरूप होंगे।

रसोई गैस और पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के पंजीकरण के लिये राशन कार्डों की जांच

1197. **श्री रामजीलाल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीणों को नए रसोई गैस कनेक्शनों के पंजीकरण के लिए रसोई गैस बिक्री केन्द्रों पर उनके राशन कार्डों के आधार पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को रसोई गैस की एक समान मात्रा जारी की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह भेदभाव कब तक समाप्त किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) उत्पाद की कमी की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा साध्यता होने पर चरणों में, 20,000 तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले केवल शहरी क्षेत्रों में एल. पी. जी. की नयी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर शहरी क्षेत्र में अपने विपणन क्षेत्र में रहने वाले ग्राहकों को पंजीकृत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के केवल सांसदों की सिफारिश/अनुमोदनों पर पर्वतीय क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के आस पास उन ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए जाते हैं जहां अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप को व्यवहार्य बनाने के लिए उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के परिचालन क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति बिना राशन कार्ड की जांच किए नए कनेक्शन के लिए नाम पंजीकृत कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास पंजीकृत ग्रामीण तथा शहरी दोनों उपभोक्ताओं को बराबर मात्रा में एल.पी.जी. दी जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Outbreak of Fire at the Narora Atomic Power Plant

1198. SMT. VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR
SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a major accident was averted at the Narora Atomic Power Plant on May 12, 1996, when a fire broke out in the steam pipe drainline under the turbine;

(b) if so, the details of the accident;

(c) whether it was the second fire accident at this Plant since it became operational; and

(d) whether an independent agency is proposed to be set up to monitor the radio activity level at the places around atomic power stations and other nuclear installations; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (PROF. YOGINDER K. ALAGH): (a) & (b) There was a minor, localised oil fire incident on May 12, 1996 around the steam drain pipelines below the turbine in Unit-2 of the Narora Atomic Power Station. This was promptly detected by the station staff and put out within half an hour. The reason for this was traced to absorption of leaked oil in the insulating material around these pipelines during maintenance work on the turbine and subsequent heating by steam after starting up of the unit. To prevent such occurrences in future, all joints in the aluminium cladding over the insulating material